भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1352

(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का लक्ष्य

1352. श्रीमती रुचि वीराः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर में वर्ष 2019 से 2024 के बीच निर्मित करने और पूरा करने के लिए लक्षित सड़कों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2024-25 में जन प्रतिनिधियों से प्राप्त तथा स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)- III के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2024 तक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर जिले में स्वीकृत और पूर्ण किए गए सड़क कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

जिला	स्वीकृत		पूर्ण		शेष*	
	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)
मुरादाबाद	24	147.81	24	143.84	0	0
बिजनौर	19	135.04	19	135.04	0	0

* **टिप्पणी:** शेष लंबाई स्वीकृत लंबाई और पूरी हो चुकी लंबाई के अंतराल के बराबर नहीं होगी क्योंकि कुछ सड़कें संरेखण में परिवर्तन और अन्य मुद्दों के कारण स्वीकृत दूरी से कम दूरी पर पूरी हो जाती हैं।

(ख) पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत उप-ठेकेदारों द्वारा शुरू किए गए कार्यों सहित सड़क परिसंपत्तियों के स्थायित्व और गुणवत्ता वाले सड़क कार्यों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित किया गया है। प्रथम स्तर के अंतर्गत, कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों (पीआईयू) को फील्ड प्रयोगशाला में सामग्री और कारीगरी पर अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करना अपेक्षित है। दूसरे स्तर में राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से राज्य स्तर पर स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण के प्रारंभिक चरण , मध्यवर्ती चरण और अंतिम चरण में प्रत्येक कार्य का निरीक्षण किया जाता है। तीसरे स्तर , जो राष्ट्रीय स्तर पर है , के अंतर्गत गुणवत्ता की निगरानी करने और फील्ड पदाधिकारियों को वरिष्ठ पेशेवरों का मार्गदर्शन भी प्रदान करने के लिए सड़क कार्यों के औचक निरीक्षण हेतु स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं को तैनात किया जाता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी के आधार पर , जहां भी आवश्यक हो , राज्य सरकारों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

राज्यों को यह भी बताया गया है कि वे पीएमजीएसवाई के उन कार्यों के संबंध में राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त निरीक्षण का प्रावधान करें , जहां असामान्य रूप से कम बोली लगती है। मंत्रालय की तकनीकी शाखा राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा ऐसे कार्यों पर यादृच्छिक आधार पर एनक्यूएम निरीक्षण भी किए जा रहे हैं।

(घ) पीएमजीएसवाई- III के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य को 18,937.50 किलोमीटर का लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिन सब को स्वीकृति दे दी गई है। इसमें से राज्य ने दिनांक 07.02.25 की स्थिति के अनुसार 17,472 किलोमीटर सड़क लंबाई पूरी कर ली हैं। पीएमजीएसवाई-III के पूरा होने की समयसीमा मार्च 2025 है।

****